न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–1, फतेहपुर।
उपस्थितः राम किशोर III ......एच०जे०एस०
जे०ओ० कोड–UP6055
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–84/2021

UPFT010005942021

राज्य
...........अभियोजक
प्रति
राजाधनी यादव उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र स्व० छेद्दीलाल
निवासी–काजीपुरवा, मजरे लालीपुर, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर।
............अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–186/2020
धारा–20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 एन० डी०पी०एस० एक्ट
थाना–हुसैनगंज, जिला फतेहपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद में **अभियुक्त राजाधनी यादव** का विचारण, मुकदमा अपराध संख्या 186/2020, **अन्तर्गत धारा 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 एन०डी०पी०एस० एक्ट,** थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में किया जाता है।

2. **अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2020 को वादी मुकदमा एस.आई. इन्द्रजीत गौतम मय हमराही हे0का0 महेन्द प्रसाद थाना हाजा से देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, रोकथाम अपराध पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अपराधी में रवाना होकर बजरंग पुर तिराहा (शुदा का पुरवा) के पास मामूर था कि आपस में बढ़ते रोकथाम अपराध के संबंध में वार्तालाप किया जा रहा था तभी मुखबिर आकर बताया कि साहव एक व्यक्ति रघुनाथ पुर तिराहा के पास पीपल के पेड के नीचे खड़ा है उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह विश्वास हो गया कि बताये गये अपराध से संबन्धित किसी के पास नाजायज वस्तु नहीं है। वादी एस.आई. मय हमराही मय मुखबिर को अपनी गाडी पर बैठा कर बजरंगपुर तिराहा से रवाना होकर बताये गये स्थान की ओर चलने लगे जैसे ही रघुनाथपुर तिराहा से 150 मीटर लगभग पहले बास मुखबिर ने गाडी रूकवा कर बताया कि साहब वह वहीं व्यक्ति है जो पीपल के पेड के नीचे खड़ा है जिसके हाथ में प्लास्टिक थैला है। उतना बताकर मुखबिर वापस चला गया। पुलिस वालो ने अपनी मो०सा0 से आगे बढे नजदीक पहुंचने पर खडे व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा शक होने पर हम पुलिसजन गाडी खडी करके दौडाकर घेरकर हल्का बल प्रयोग करके पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुऐ नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदी लाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीव 32 वर्ष बताया भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे थैले में गांजा है इसलिए मैं भाग रहा था कि आप लोगो ने दौडाकर पकड लिए हाथ में लिए थैला को

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.06.09 11:05:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

खुलवा कर देखा गया व सूंघा व सुंघाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही थी इस पर पुलिस वाले पकडे गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब अब जब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हूँ कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए हमें कही मत ले जाइये। थैले में अवैध गांजा बरामद हुआ। पास की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से हमराही भेज कर तराजू व बाँट मंगवा कर तौला गया तो 01 kg. 250 ग्राम हुआ जिसमें से 100 ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपडे में. 100 ग्राम अलग व 01 kg–150 ग्राम अलग रखकर सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद गांजा व अभियुक्त को समय करीब 10.30 बजे हस्व जाफ्ता कब्जा पुलिस लिया गया फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर, सुनाकर सभी गवाहो का आलामात वनवाये जा रहे है। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। दौराने गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मा० मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया व कराया गया। मौके पर आसपास के कुछ लोग आ गये है गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ।

3. फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हुसैनगंज में दिनांक 07.10.2020 को मु०अ०सं० 186/2010 अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस०एक्ट में अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व गवाहान के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा दौरान विवेचना की अन्य औपचारिकताए पूर्णकर संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–189/2020 दिनांकित 13.12.2020 अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस०एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना पाते हुए पत्रावली विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। पत्रावली सत्र न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त सत्र वाद के रूप में दर्ज की गयी। अभियुक्त की पत्रावली पर विशेष सत्र विचारण संख्या–84/2021 कायम हुआ।

5. अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 एन० डी०पी०एस० एक्ट का आरोप दिनांक 13.02.2023 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में **वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम (अ०सा०–1), हेड कां० अरविन्द कुमार (अ०सा०–2), उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद (अ०सा०–3) व सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस (अ०सा०–4)** को परीक्षित कराया गया है।

7. पत्रावली में निम्न अभियोजन प्रपत्र सम्मिलित हैं–

क्रम संख्या	**अभियोजन प्रलेखों का विवरण**	**प्रदर्श**
1.	सहमति–पत्र	क–1
2.	फर्द बरामदगी	क–2
3.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–3
4.	नकल जी०डी०	क–4
5.	नक्शा नजरी	क–5
6.	आरोप–पत्र	क–6
7.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	क–7

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की गुण विवेचना करने से पूर्व अभियोजन साक्षीगण के बयानों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

9. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसेनगंज में बहैसियत उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ हेड कांस्टेबिल महेन्द्र प्रसाद के साथ देख भाल क्षेत्र में बजरंगापुर तिराहे के पास मामूर था कि मुखबिरखास ने बताया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहे के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर इतमिनान कर कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बजरंगापुर तिराहे से रवाना होकर चले जैसे ही रघुनाथपुर तिराहे से डेढ़ सौ मीटर लगभग पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में थैला है, बता कर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले आगे बढ़े नजदीक पहुंचने पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। शक होने पर हम लोग गाड़ी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसेनगंज जनपद फतेहपुर बताया। भागने का कारण पूंछने पर बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसलिए भाग रहा था। आप लोगों ने पकड़ लिया। थैला को देखा गया और सूंघा सुंघाया गया तो गांजे सी गन्ध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा तो उसने कहा कि जब आप पकड़ लिये हैं तो मैं लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें कहीं न ले जाइए। अभियुक्त के द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–9 अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह सहमति पत्र के आधार पर जामा तलाशी ली गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। हमराही सिपाही महेन्द्र प्रसाद को पांस की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से तराजू बांट मंगवाकर तौला गया तो एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला। जिसमें सौ ग्राम गांजा पुनः निकाल कर सफेद कपड़े में व शेष एक किलो एक सौ पचास ग्राम गांजा को अलग अलग सफेद कपड़ों में रेखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। अभियुक्त व बरामद गांजा को समय करीब 10:30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। दौरान गिरफ्तारी सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। मौके पर आप पास कुछ लोग आ गये थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4 अ फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर से मौके पर तैयार किया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की गवाह ने पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। मय माल मुल्जिम के व हमराही के थाने गये थे। जहां मैनें मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मैनें विवेचक को निरीक्षण घटना स्थल करा दिया था। इस स्तर पर थाने के पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मुहर बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोला गया जिसमें गांजा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजाधनी के पास से मौके पर बरामद हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि बजरंगापुर तिराहा से रधुनाथपुर तिराहा लगभग दो किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मेरे साथ हे० का० महेन्द्र प्रसाद थाने से साथ में चले थे। घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो उस समय हम दो ही लोग थे। मुखबिर की सूचना बजरंगापुर तिराहे पर ही मिली थी, इसी सूचना पर हम लोग रघुनाथपुर तिराहा पहुंचे थे। रघुनाथपुर तिराहे से 150 मीटर पहले मुखबिर के इसारे पर देखा गया था। हम सब लोग अपनी निजी मोटरसाइकिल से पहुंचे

थे। अभियुक्त के करीब पहुंचे तभी अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने लगा तभी गाड़ी खड़ी करके अभियुक्त को पकड़ा गया था। अभियुक्त लगभग जिस स्थान पर खड़ा था उस स्थान से पन्द्रह कदम दूरी पर दौड़ाकर पकड़ा गया था। मैंने अभियुक्त को 10.30 बजे दिन में पकड़ा था। उसके हाथ से पकड़ी गयी पोटली को खोला गया था और उसको सूघां भी गया था उसमें से गाजें की गन्ध आ रही थी। गांजा तौलने का कोई उपकरण साथ लेकर नहीं गये थे, बगल की दुकान से तराजू बांट मगवाकर तैला गया था। तराजी के बाट में एक किलों का बाट, आंधे किलो का बाट, दो सौ व सी ग्राम व पचास ग्राम के बाट का० महेन्द्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। गांजे की पोटली प्लास्टिक के थैले में थी। यह प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा था, वह पारदर्शी नहीं था। गांजे की तौल मैंने प्लास्टिक के थैले सहित करवाई थी. जिसका वजन एक किलो दो सौ पचास ग्राम निकला था, उक्त गांजे में से परीक्षण हेतु सौ ग्राम गांजा निकाला गया था। शेष बचा हुआ गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम आज मेरे पास बयान देते समय मौके पर नहीं है। परीक्षण के लिए निकाला गया गांजा मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। थाने के हे०मु० के द्वारा भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की आने व न आने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि जब तक परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि पकड़ा गया पदार्थ गांजा ही है। अभियुक्त को पकड़ने के बाद, जामा तलाशी लेने के बाद गांजा बरामद होने पर अभियुक्त के गांजा के सम्बन्ध में तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने सहमति पत्र देते हुए कहा कि, आप ही मेरे सक्षम अधिकारी है मेरी तलाशी ले सकते हैं। अभियुक्त के सहमति पत्र देते समय वह मेरी कस्टडी में था। यह कहना सही है कि जहां पर अभियुक्त को मैंने पकड़ा वहां पर आम आदमी का आना जाना बना रहता है। उक्त घटना को आने जाने वाले तमाम राहगीरों ने देखा जिन्हें उक्त घटना के सम्बन्ध में गवाही के लिए बताया गया, परन्तु किसी भी राहगीर द्वारा आपना नाम पता बताने से इन्कार किया गया। उक्त राहगीरों के खिलाफ मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

10. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 हेड कां० अरविन्द कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को मै कान्सटेबल मुहर्रिर थाना हुसैनगंज पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा उ०नि० इन्द्रजीत गौतम की लिखित फर्द मुझे प्राप्त हुई थी, मैने फर्द के अनुसार कम्प्यूटर आपरेटर को शब्द व शब्द बोल बोल कर टाइप करवाया था. जिसका मुकदमा अपराध संख्या 0186/2020 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में चिक एफ०आई०आर० तैयार हो जाने के बाद मैने अपना हस्ताक्षर बनाया था, पत्रावली में सामिल एफ०आई०आर० कागज संख्या 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया, इसी चिक एफ०आई०आर० का खुलाशा मेरे द्वारा जी०डी० मे किया गया था, जिसमें जी०डी० न० 030 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे पत्रावली में शामिल जी०डी० कागज संख्या 8 अ पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं आज अपने साथ मूल जी०डी० नहीं लाया हूं, न लाने का कारण यह है कि, एक जी०डी० पत्रावली में रहती है और दूसरी जी०डी० थाने के सी०सी०टी०एन०एस० पर रहती है। दरोगा जी ने जो फर्द दिया था, उसी के आधार पर मैंने मुकदमा कायम किया था। इस मुकदमें को पंजीकृत होने के पहले व बाद में मैने कितने संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध के मुकदमें पंजीकृत किया था. मुझे याद नहीं है। मैंने फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था, दरोगा जी के दबाव में नहीं दर्ज करवाया था। फर्द बरामदगी के समय में मौके पर नहीं था। जब मैं उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत करवा रहा था, उस समय कथित मुल्जिम मेरे समक्ष था। मैंने उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में मुल्जिम से कोई पूछताछ नहीं किया था।

11. **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को मैं हेड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम देखभाल क्षेत्र हेतु बजरंगपुर तिराहा के पास मौजूद था कि हम आपस में बातचीत ही कर रहे कि जरिए मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहा के पास पीपल की पेड़ के नीचे है उस हाथ एक टिक कर मेला है, जिसमें अवैध नाजायज गांजा है, जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी से कराए स्थान पर तो 100 मीटर दूरी पर जो व्यक्ति पेड़ के पास प्रयोग बड़ा है उसी के पास इमेले में नाजायज गांजा है। हम लोगो के नजदीक जाने पर खड़ा व्यक्ति तेज कदमो से जाने लगा शंका होने पर हम पुलिस वाले गाडी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर, कर उसे पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर बताया कि मेरा नाम राजाधनी यादव पुत्र छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुरीनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज गांजा है इसलिए भाग रहा था। छोला को खोलकर देखा गया तो नाजायज गांजा था। हम लोगों द्वारा सूंघा व सुंगाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही है। इस पर हम पुलिस वाले पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है, जामा तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा, इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हू आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। पास की दुकान से तराजू व बाट मगंवाया गया तैला गया तो उसके पास एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला जिसमें से सौ ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपड़े में अलग से रखकर सील सर्व मोहर य नमूना मोहर तैयार किया गया तथा एक किलो एक सौ पचास ग्राम को भी सील सर्व मोहर व नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर सुनाकार व गवाहों के हस्ताक्षर बनवाए गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। दौराने गिरफतारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। मौके पर आस पास के कुछ व्यक्ति आ गये। गवाही के लिए कहा तो भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुए, गिरफतारी की सूचना पत्नी गीता देवी को जरिए दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या–4 अ/2 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिसमें प्रदर्श क–2 पूर्व से पड़ा है। विवेचक ने मेरे बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब मुझे जरिए मुखबिर सूचना मिली थी उस समय मैं बजरंगा पुर चौराहेए मौजूद था। मेरे पास से अभियुक्त उत्तर दिशा में लगभग 09–10 किलोमीटर दूर थे। जब मुझे सुचना मिली थी उस समय बजरंगापुर चौराहे पर था समय मुझे याद नहीं कि कितना बजा रहा होगा। मुखबिर हमारी गाडी में ही बैठकर गया था। चौराहे से घटनास्थल पहुंचने में मुझे लगभग 20–22 मिनट का समय लगा होगा। जहां पर मुल्जिम मौजूद था वह स्थान रघुनाथपुर तिराहा डलमउ रोड था। रघुनाथपुर तिराहा से डलमउ लगभग 3–4 किलोमीटर होगा। मैनें अभियुक्त को 150 मीटर दूरी से देख लिया था। रोड के किनारे ही मुल्जिम पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, यह रोड पब्लिक रोड है, जिसमें आवागमन बराबर बना रहता है। अभियुक्त को हमने 10.30 बजे सुबह पकड़ लिया था, वहां से राजपत्रित अधिकारी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर रही होगी। घटनास्थल से 50 मीटर दूरी पर प्रधान होटल पश्चिम दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में कुछ छोटी–छोटी दुकाने लगी हुई हैं। कथित गांजे की तौल हेतु मैं स्वयं तराजू लेने गया था। तौल हेतु बांट मैं 1 किलो का, आधा किलो, दो सौ ग्राम, व सौ ग्राम व पचास ग्राम लेकर आया था। तौल में कुल एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला था। अभियुक्त के बताने के अनुसार हमने अनुमान लगाया कि बरामदशुदा माल गांजा है। बरामद माल में से जो सौ गाम माल था उसको परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था, शेष माल थाने के मालखाने में रखा है। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि, विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये माल की रिपोर्ट आयी है या नहीं। यह कहना सही है कि

मेरे सामने आज शेष माल जो थाने में जमा किया गया था वह नहीं है। अभियुक्त ने जो सहमति पत्र दिया था, उस समय वह हमारी कस्टडी में था। मैंने रास्ते में आने जाने लोगो से गवाही के लिए कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ।

12. <u>**अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस**</u> ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूँ। दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसैनगंज में उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज द्वारा मु०अ०स०–186/2020 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० बनाम राजाधानी की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 07.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 1 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, लेखक एफ०आई०आर०, का० मुहर्रिर अरविन्द कुमार व उ०नि० इन्द्रजीत गौतम वादी मुकदमा के बयान अंकित किए एवं नकल सहमति पत्र व अभियुक्त राजाधनी के बयान अंकित किए गये। दिनांक 13.10.2020 को केस डायरी का पर्चा न० 2 किता किया गया जिसमें हे० का० महेन्द्र प्रसाद फर्द गवाह के बयान अंकित किए व वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 अ को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 16.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 3 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा अवलोकन दाखिला रिपोर्ट माल का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 03.11.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 4 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त राजाधानी के जमानत सूचना का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 14.112020 को केसडायरी का पर्चा न० 5 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा माल परीक्षण दाखिला रिमाण्डर प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 13.12.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 6 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्ध 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 को देखकर साक्षी ने अपने द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोल कर तैयार कराए जाने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 21.04.2022 को एस०सी०डी० संख्या–1 उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा किता किया गया जिसके साथ विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० फाफामउ शान्तीपुरम की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विजय कुमार त्रिवेदी उ०नि० मेरे साथ तैनात रहे है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। एस०सी०डी० संख्या 1 उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, पत्रावली में संलग्न विधिविज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट एस०सी०डी० के साथ संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। विवेचना के समय मैं थाना हुसैनगंज में तैनात था। इन्द्रजीत गौतम उ०नि० उस समय उसी थाने में तैनात थे। बरामद माल एक किलो ढाई सौ ग्राम था। विवेचना के दौरान माल आया था। मैंने पोटली निकलवाकर देखी थी माल मालखाने में मौजूद था। उस पोटली में मु०अ०स०, धारा, मुल्जिम का नाम, थाना, जिला अदि लिखा था। उस पोटली में मुल्जिम के दस्तखत थे और उसको मैंने देखा था। उस पोटली का वजन पहले ही हो गया था, मैंने उसका वजन नहीं किया था, उसमें से सौ ग्राम माल नमूना के निकालकर जांच के लिए भेजा गया था। यह माल की टेस्टिंग के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिम राजाधनी के मैंने बयान अंकित किया था, यह बयान मैंने हवालात में अंकित किए थे। रघुनाथपुर तिराहा बहदग्राम फिरोजपुर वादी मुकदमा को साथ लेकर गया था, जो वादी मुकदमा को लेकर गया था, वहां पर मैंने वादी मुकदमा के निशांदेही पर नक्शानजरी बनाया था, उसके पूरब में क्या है, वह मैं नक्शा देखकर बता सकता हूँ, क्योंकि घटना पांच छः वर्ष पुरानी है।

घटनास्थल थाने से नौ किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। बरामदशुदा गांजा की पोटली आज मेरे सामने नहीं है।

13. अभियुक्त **<u>राजाधनी यादव</u>** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत बताया है एवं मुकदमा रंजिशन चलना बताया। अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया था किन्तु बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्षी पेश नहीं किया गया है।

14. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे स्थान रघुनाथपुर तिराहा के पास, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में अभियुक्त राजाधनी यादव को उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा एक किलो दौ सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था। अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक एवं अभिलेखीय साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष भली भांति साबित किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को पूर्णतः साबित किया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजाधनी पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त राजाधनी यादव दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

15. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त राजाधनी यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। घटनास्थल संदिग्ध है। बरामद माल मजिस्ट्रेट के सामने सील कराना होता है लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। प्रस्तुत मामले का वादी व अन्य समस्त गवाह पुलिसकर्मी हैं, जिनके प्रभाव में आकर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से फर्जी बरामदगी दिखाई गई है एवं उक्त झूठा मुकदमा कायम कराया गया है। अभियोजन की ओर से मात्र पुलिस साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से किसी भी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अतः अभियुक्त राजाधनी यादव लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

16. मैंने उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को दौरान बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

<u>अवधारणीय बिन्दु</u>

17. **<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या 01–</u>** अवधारणीय बिन्दु सं०–1 इस आशय से विरचित किया जाता है कि क्या मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब कारित किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है?

18. इस सम्बंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए **<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था State of Andhra Pradesh V/s N. Madhusuan Rao, 2008 (15) SCC 852</u> में** यह मत अवधारित किया गया है कि–

- That delay in lodging the FIR, more often that not, results in embellishment and exaggeration, which is a creature of an afterthought.
- That a delayed report not only gets bereft of the advantage of spontaneity, the danger of the introduction of coloured version, exaggerated account of the incident or a concocted story as a result of deliberations and consultation, also creeps in, casting a serious doubt on its veracity.

Therefore, it is essential that the delay in lodging the report should be satisfactorily explained. Resultantly, the prosecution case has to be rejected in its entirety.

19. प्रस्तुत मामले में पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में मुकदमा अपराध संख्या–186/2021 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–3) के अनुसार प्रस्तुत मामले में अपराध होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 को समय 13:43 बजे होना दर्ज करायी गयी है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अपराध की घटना दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे होना वर्णित है।

20. इस विलम्ब के संबंध में स्वयं वादी उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसेनगंज में बहैसियत उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ हेड कांस्टेबिल महेन्द्र प्रसाद के साथ देख भाल क्षेत्र में बजरंगापुर तिराहे के पास मामूर था कि मुखबिरखास ने बताया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहे के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर इतमिनान कर कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बजरंगापुर तिराहे से रवाना होकर चले जैसे ही रघुनाथपुर तिराहे से डेढ़ सौ मीटर लगभग पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में थैला है, बता कर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले आगे बढ़े नजदीक पहुंचने पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। शक होने पर हम लोग गाड़ी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसेनगंज जनपद फतेहपुर बताया। भागने का कारण पूंछने पर बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसलिए भाग रहा था। आप लोगों ने पकड़ लिया। थैला को देखा गया और सूंघा सुंघाया गया तो गांजे सी गन्ध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा तो उसने कहा कि जब आप पकड़ लिये हैं तो मैं लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें कहीं न ले जाइए। अभियुक्त के द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–9 अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह सहमति पत्र के आधार पर जामा तलाशी ली गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। हमराही सिपाही महेन्द्र प्रसाद को पांस की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से तराजू बांट मंगवाकर तौला गया तो एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला। जिसमें सौ ग्राम गांजा पुनः निकाल कर सफेद कपड़े में व शेष एक किलो एक सौ पचास ग्राम गांजा को अलग अलग सफेद कपड़ों में रेखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। अभियुक्त व बरामद गांजा को समय करीब 10:30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। दौरान गिरफ्तारी सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। मौके पर आप पास कुछ लोग आ गये थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4 अ फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर से मौके पर तैयार किया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की गवाह ने पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। मय माल मुल्जिम के व हमराही के थाने गये थे। जहां मैनें मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मैनें विवेचक को निरीक्षण घटना स्थल करा दिया था। इस स्तर पर थाने के पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मुहर बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोला गया जिसमें गांजा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त

राजाधनी के पास से मौके पर बरामद हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि बजरंगापुर तिराहा से रघुनाथपुर तिराहा लगभग दो किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मेरे साथ हे० का० महेन्द्र प्रसाद थाने से साथ में चले थे। घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो उस समय हम दो ही लोग थे। मुखबिर की सूचना बजरंगापुर तिराहे पर ही मिली थी, इसी सूचना पर हम लोग रघुनाथपुर तिराहा पहुंचे थे। रघुनाथपुर तिराहे से 150 मीटर पहले मुखबिर के इसारे पर देखा गया था। हम सब लोग अपनी निजी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। अभियुक्त के करीब पहुंचे तभी अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने लगा तभी गाड़ी खड़ी करके अभियुक्त को पकड़ा गया था। अभियुक्त लगभग जिस स्थान पर खड़ा था उस स्थान से पन्द्रह कदम दूरी पर दौड़ाकर पकड़ा गया था। मैंने अभियुक्त को 10.30 बजे दिन में पकड़ा था। उसके हाथ से पकड़ी गयी पोटली को खोला गया था और उसको सूघां भी गया था उसमें से गाजें की गन्ध आ रही थी। गांजा तौलने का कोई उपकरण साथ लेकर नहीं गये थे, बगल की दुकान से तराजू बांट मगवाकर तैला गया था। तराजी के बाट में एक किलों का बाट, आंधे किलो का बाट, दो सौ व सी ग्राम व पचास ग्राम के बाट का० महेन्द्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। गांजे की पोटली प्लास्टिक के थैले में थी। यह प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा था, वह पारदर्शी नहीं था। गांजे की तौल मैंने प्लास्टिक के थैले सहित करवाई थी. जिसका वजन एक किलो दो सौ पचास ग्राम निकला था, उक्त गांजे में से परीक्षण हेतु सौ ग्राम गांजा निकाला गया था। शेष बचा हुआ गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम आज मेरे पास बयान देते समय मौके पर नहीं है। परीक्षण के लिए निकाला गया गांजा मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। थाने के हे०मु० के द्वारा भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की आने व न आने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि जब तक परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि पकड़ा गया पदार्थ गांजा ही है। अभियुक्त को पकड़ने के बाद, जामा तलाशी लेने के बाद गांजा बरामद होने पर अभियुक्त के गांजा के सम्बन्ध में तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने सहमति पत्र देते हुए कहा कि, आप ही मेरे सक्षम अधिकारी है मेरी तलाशी ले सकते हैं। अभियुक्त के सहमति पत्र देते समय वह मेरी कस्टडी में था। यह कहना सही है कि जहां पर अभियुक्त को मैंने पकड़ा वहां पर आम आदमी का आना जाना बना रहता है। उक्त घटना को आने जाने वाले तमाम राहगीरों ने देखा जिन्हें उक्त घटना के सम्बन्ध में गवाही के लिए बताया गया, परन्तु किसी भी राहगीर द्वारा आपना नाम पता बताने से इन्कार किया गया। उक्त राहगीरों के खिलाफ मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 के अनुसार अभियुक्त राजाधनी यादव को एक किलो दो सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा के साथ दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 07.10.2020 समय 13:43 बजे दर्ज कराई गई है। थोड़ा बहुत समय आने–जाने व लिखा–पढ़ी करने में लगना स्वाभाविक है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में जो भी विलम्ब कारित हुआ है, वह युक्तियुक्त है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट युक्तियुक्त समय के भीतर दर्ज करायी गयी है इससे अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

21. **अवधारणीय बिन्दु संख्या 02–** अवधारणीय बिन्दु सं०–2 इस आशय से विरचित किया जाता है कि **क्या अभियोजन अभियुक्त राजाधनी यादव द्वारा धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कारित किये गये अपराध को साबित करने में सफल हुआ या नहीं?**

22. बचावपक्ष की ओर से कहा गया है कि साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक साबित नहीं है, उक्त मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। साक्षीगण के बयानों के आधार पर अभियुक्त पर आरोप साबित नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं। मुकदमा रंजिशन चलाना बताया गया। प्रस्तुत मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। घटनास्थल संदिग्ध है।

बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। अतः अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त होने योग्य हैं जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि साक्षीगणों को मौखिक रूप से परीक्षित कराया गया। विवेचक तथा अन्य पुलिस के गवाहान द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में गांजा पाया गया है। अभियोग पूर्ण रूप से साबित है। अतः अभियुक्त दण्डित किये जाने योग्य है।

23. इस बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन का है। अभियोजन की ओर से इस बिन्दु को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में **वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम (अ०सा०–1), हेड कां० अरविन्द कुमार (अ०सा०–2), उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद (अ०सा०–3) व सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस (अ०सा०–4)** को परीक्षित कराया गया है जिनके साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

24. उक्त बिन्दु के संबंध में **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उपनिरीक्षक इन्दजीत गौतम** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसेनगंज में बहैसियत उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ हेड कांस्टेबिल महेन्द्र प्रसाद के साथ देख भाल क्षेत्र में बजरंगापुर तिराहे के पास मामूर था कि मुखबिरखास ने बताया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहे के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर इतमिनान कर कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बजरंगापुर तिराहे से रवाना होकर चले जैसे ही रघुनाथपुर तिराहे से डेढ़ सौ मीटर लगभग पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में थैला है, बता कर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले आगे बढ़े नजदीक पहुंचने पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। शक होने पर हम लोग गाड़ी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। **पकड़े गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसेनगंज जनपद फतेहपुर बताया। भागने का कारण पूंछने पर बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसलिए भाग रहा था। आप लोगों ने पकड़ लिया। थैला को देखा गया और सूंघा सुंघाया गया तो गांजे सी गन्ध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा तो उसने कहा कि जब आप पकड़ लिये हैं तो मैं लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें कहीं न ले जाइए। अभियुक्त के द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–9अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह सहमति पत्र के आधार पर जामा तलाशी ली गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।** हमराही सिपाही महेन्द्र प्रसाद को पांस की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की **दुकान से तराजू बांट मंगवाकर तौला गया तो एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला।** जिसमें सौ ग्राम गांजा पुनः निकाल कर सफेद कपड़े में व शेष एक किलो एक सौ पचास ग्राम गांजा को अलग अलग सफेद कपड़ों में रेखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। अभियुक्त व बरामद गांजा को समय करीब 10:30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। दौरान गिरफ्तारी सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। मौके पर आप पास कुछ लोग आ गये थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4अ फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर से मौके पर तैयार किया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की गवाह ने पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। मय माल मुल्जिम के व हमराही के थाने गये थे। जहां मैनें मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मैनें विवेचक को निरीक्षण घटना

स्थल करा दिया था। इस स्तर पर थाने के पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मुहर बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोला गया जिसमें गांजा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजाधनी के पास से मौके पर बरामद हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि बजरंगापुर तिराहा से रधुनाथपुर तिराहा लगभग दो किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मेरे साथ हे० का० महेन्द्र प्रसाद थाने से साथ में चले थे। घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो उस समय हम दो ही लोग थे। मुखबिर की सूचना बजरंगापुर तिराहे पर ही मिली थी, इसी सूचना पर हम लोग रघुनाथपुर तिराहा पहुंचे थे। रघुनाथपुर तिराहे से 150 मीटर पहले मुखबिर के इसारे पर देखा गया था। हम सब लोग अपनी निजी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। अभियुक्त के करीब पहुंचे तभी अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने लगा तभी गाड़ी खड़ी करके अभियुक्त को पकड़ा गया था। अभियुक्त लगभग जिस स्थान पर खड़ा था उस स्थान से पन्द्रह कदम दूरी पर दौड़ाकर पकड़ा गया था। मैंने अभियुक्त को 10.30 बजे दिन में पकड़ा था। उसके हाथ से पकड़ी गयी पोटली को खोला गया था और उसको सूघां भी गया था उसमें से गाजें की गन्ध आ रही थी। गांजा तौलने का कोई उपकरण साथ लेकर नहीं गये थे, बगल की दुकान से तराजू बांट मगवाकर तैला गया था। तराजी के बाट में एक किलों का बाट, आंधे किलो का बाट, दो सौ व सी ग्राम व पचास ग्राम के बाट का० महेन्द्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। गांजे की पोटली प्लास्टिक के थैले में थी। यह प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा था, वह पारदर्शी नहीं था। गांजे की तौल मैंने प्लास्टिक के थैले सहित करवाई थी जिसका वजन एक किलो दो सौ पचास ग्राम निकला था, उक्त गांजे में से परीक्षण हेतु सौ ग्राम गांजा निकाला गया था। शेष बचा हुआ गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम आज मेरे पास बयान देते समय मौके पर नहीं है। परीक्षण के लिए निकाला गया गांजा मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। थाने के हे०मु० के द्वारा भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की आने व न आने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि जब तक परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि पकड़ा गया पदार्थ गांजा ही है। अभियुक्त को पकड़ने के बाद, जामा तलाशी लेने के बाद गांजा बरामद होने पर अभियुक्त के गांजा के सम्बन्ध में तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने सहमति पत्र देते हुए कहा कि, आप ही मेरे सक्षम अधिकारी है मेरी तलाशी ले सकते हैं। अभियुक्त के सहमति पत्र देते समय वह मेरी कस्टडी में था। यह कहना सही है कि जहां पर अभियुक्त को मैंने पकड़ा वहां पर आम आदमी का आना जाना बना रहता है। उक्त घटना को आने जाने वाले तमाम राहगीरों ने देखा जिन्हें उक्त घटना के सम्बन्ध में गवाही के लिए बताया गया, परन्तु किसी भी राहगीर द्वारा आपना नाम पता बताने से इन्कार किया गया। उक्त राहगीरों के खिलाफ मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 हेड कां० अरविन्द कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को मै कान्सटेबल मुहर्रिर थाना हुसैनगंज पर तैनात था. उस दिन वादी मुकदमा उ०नि० इन्द्रजीत गौतम की लिखित फर्द मुझे प्राप्त हुई थी, मैने फर्द के अनुसार कम्प्यूटर आपरेटर को शब्द व शब्द बोल बोल कर टाइप करवाया था. जिसका मुकदमा अपराध संख्या 0186/2020 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में चिक एफ०आई०आर० तैयार हो जाने के बाद मैने अपना हस्ताक्षर बनाया था, पत्रावली में सामिल एफ०आई०आर० कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/2 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया, इसी चिक एफ०आई०आर० का खुलाशा मेरे द्वारा जी०डी० मे किया गया था, जिसमें जी०डी० न० 030 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे पत्रावली में शामिल जी०डी० कागज संख्या 8अ पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं आज अपने साथ मूल जी०डी०

नहीं लाया हूं, न लाने का कारण यह है कि, एक जी०डी० पत्रावली में रहती है और दूसरी जी०डी० थाने के सी०सी०टी०एन०एस० पर रहती है। दरोगा जी ने जो फर्द दिया था, उसी के आधार पर मैंने मुकदमा कायम किया था। इस मुकदमें को पंजीकृत होने के पहले व बाद में मैने कितने संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध के मुकदमें पंजीकृत किया था. मुझे याद नहीं है। मैंने फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था, दरोगा जी के दबाव में नहीं दर्ज करवाया था। फर्द बरामदगी के समय में मौके पर नहीं था। जब मैं उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत करवा रहा था, उस समय कथित मुल्जिम मेरे समक्ष था। मैंने उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में मुल्जिम से कोई पूछताछ नहीं किया था। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को दिनांक 07.10.2020 को मैं हेड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम देखभाल क्षेत्र हेतु बजरंगपुर तिराहा के पास मौजूद था कि हम आपस में बातचीत ही कर रहे कि जरिए मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहा के पास पीपल की पेड़ के नीचे है उस हाथ एक टिक कर मेला है, जिसमें अवैध नाजायज गांजा है, जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी से कराए स्थान पर तो 100 मीटर दूरी पर जो व्यक्ति पेड़ के पास प्रयोग बड़ा है उसी के पास इमेले में नाजायज गांजा है। हम लोगो के नजदीक जाने पर खड़ा व्यक्ति तेज कदमो से जाने लगा शंका होने पर हम पुलिस वाले गाडी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर, कर उसे पकड़ लिया गया, **पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर बताया कि मेरा नाम राजाधनी यादव पुत्र छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज गांजा है इसलिए भाग रहा था। छोला को खोलकर देखा गया तो नाजायज गांजा था। हम लोगों द्वारा सूंघा व सुंगाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही है।** इस पर हम पुलिस वाले पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है, जामा तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा, इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हू आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। **पास की दुकान से तराजू व बाट मगंवाया गया तैला गया तो उसके पास एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला** जिसमें से सौ ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपड़े में अलग से रखकर सील सर्व मोहर य नमूना मोहर तैयार किया गया तथा एक किलो एक सौ पचास ग्राम को भी सील सर्व मोहर व नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर सुनाकार व गवाहों के हस्ताक्षर बनवाए गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। दौराने गिरफतारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। मौके पर आस पास के कुछ व्यक्ति आ गये। गवाही के लिए कहा तो भलाई-बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुए, गिरफतारी की सूचना पत्नी गीता देवी को जरिए दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या-4 अ/2 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिसमें प्रदर्श क-2 पूर्व से पड़ा है। विवेचक ने मेरे बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब मुझे जरिए मुखबिर सूचना मिली थी उस समय मैं बजरंगा पुर चौराहेए मौजूद था। मेरे पास से अभियुक्त उत्तर दिशा में लगभग 09-10 किलोमीटर दूर थे। जब मुझे सुचना मिली थी उस समय बजरंगापुर चौराहे पर था समय मुझे याद नहीं कि कितना बजा रहा होगा। मुखबिर हमारी गाडी में ही बैठकर गया था। चौराहे से घटनास्थल पहुंचने में मुझे लगभग 20-22 मिनट का समय लगा होगा। जहां पर मुल्जिम मौजूद था वह स्थान रघुनाथपुर तिराहा डलमउ रोड था। रघुनाथपुर तिराहा से डलमउ लगभग 3-4 किलोमीटर होगा। मैनें अभियुक्त को 150 मीटर दूरी से देख लिया था। रोड के किनारे ही मुल्जिम पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, यह रोड पब्लिक रोड है, जिसमें आवागमन बराबर बना रहता है। अभियुक्त को हमने 10.30 बजे सुबह पकड़ लिया था, वहां से राजपत्रित अधिकारी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर रही होगी।

घटनास्थल से 50 मीटर दूरी पर प्रधान होटल पश्चिम दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में कुछ छोटी–छोटी दुकाने लगी हुई हैं। कथित गांजे की तौल हेतु मैं स्वयं तराजू लेने गया था। तौल हेतु बांट मैं 1 किलो का, आधा किलो, दो सौ ग्राम, व सौ ग्राम व पचास ग्राम लेकर आया था। तौल में कुल एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला था। अभियुक्त के बताने के अनुसार हमने अनुमान लगाया कि बरामदशुदा माल गांजा है। बरामद माल में से जो सौ गाम माल था उसको परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था, शेष माल थाने के मालखाने में रखा है। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि, विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये माल की रिपोर्ट आयी है या नहीं। यह कहना सही है कि मेरे सामने आज शेष माल जो थाने में जमा किया गया था वह नहीं है। अभियुक्त ने जो सहमति पत्र दिया था, उस समय वह हमारी कस्टडी में था। मैंने रास्ते में आने जाने लोगो से गवाही के लिए कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूँ। दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसैनगंज में उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज द्वारा मु०अ०स०–186/2020 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० बनाम राजाधानी की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 07.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 1 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, लेखक एफ०आई०आर०, का० मुहर्रिर अरविन्द कुमार व उ०नि० इन्द्रजीत गौतम वादी मुकदमा के बयान अंकित किए एवं नकल सहमति पत्र व अभियुक्त राजाधनी के बयान अंकित किए गये। दिनांक 13.10.2020 को केस डायरी का पर्चा न० 2 किता किया गया जिसमें हे० का० महेन्द्र प्रसाद फर्द गवाह के बयान अंकित किए व वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 अ को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 16.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 3 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा अवलोकन दाखिला रिपोर्ट माल का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 03.11.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 4 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त राजाधानी के जमानत सूचना का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 14.112020 को केसडायरी का पर्चा न० 5 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा माल परीक्षण दाखिला रिमाण्डर प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 13.12.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 6 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्ध 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 को देखकर साक्षी ने अपने द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोल कर तैयार कराए जाने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 21.04.2022 को एस०सी०डी० संख्या–1 उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा किता किया गया जिसके साथ विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० फाफामउ शान्तीपुरम की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विजय कुमार त्रिवेदी उ०नि० मेरे साथ तैनात रहे है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। एस०सी०डी० संख्या 1 उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, पत्रावली में संलग्न विधिविज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट एस०सी०डी० के साथ संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। विवेचना के समय मैं थाना हुसैनगंज में तैनात था। इन्द्रजीत गौतम उ०नि० उस समय उसी थाने में तैनात थे। बरामद माल एक किलो ढाई सौ ग्राम था। विवेचना के दौरान माल आया था। मैंने पोटली निकलवाकर देखी थी माल मालखाने में मौजूद था। उस पोटली में मु०अ०स०, धारा, मुल्जिम का नाम, थाना, जिला अदि लिखा था। उस पोटली में मुल्जिम के

दस्तखत थे और उसको मैंने देखा था। उस पोटली का वजन पहले ही हो गया था, मैंने उसका वजन नहीं किया था, उसमें से सौ ग्राम माल नमूना के निकालकर जांच के लिए भेजा गया था। यह माल की टेस्टिंग के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिम राजाधनी के मैंने बयान अंकित किया था, यह बयान मैंने हवालात में अंकित किए थे। रघुनाथपुर तिराहा बहदग्राम फिरोजपुर वादी मुकदमा को साथ लेकर गया था, जो वादी मुकदमा को लेकर गया था, वहां पर मैंने वादी मुकदमा के निशांदेही पर नक्शानजरी बनाया था, उसके पूरब में क्या है, वह मैं नक्शा देखकर बता सकता हूँ, क्योंकि घटना पांच छः वर्ष पुरानी है। घटनास्थल थाने से नौ किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। बरामदशुदा गांजा की पोटली आज मेरे सामने नहीं है।

25. इस प्रकार अभियुक्त राजाधनी यादव को दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे स्थान रघुनाथपुर तिराहा के पास, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में अभियुक्त को उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा एक किलो दौ सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया जाना मौके के साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अभियोजन साक्षी संख्या 1 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद व अन्य साक्षीगण के बयानों द्वारा दिये गये साक्ष्य से साबित होता है। सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी होती है जिसे अभियोजन साक्षी संख्या–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस द्वारा प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है। **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में परिणाम में यह उल्लिखित है कि– "वस्तु विश्लेषण द्वारा गांजा पाया गया। भौतिक व रासायनिक विधियां प्रयोग की गई।"** अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा – 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त राजाधनी यादव आरोप अन्तर्गत धारा – 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

26. अवधारणीय बिन्दु सं० 3– बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व साक्षी पी०डब्ल्यू० 3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद के बयानों में विरोधाभाष है।

यह अवधारणीय बिन्दु बचाव पक्ष की ओर से दौरान बहस उठाये गये तर्को के आधार पर विरचित किया गया है। इसलिए इस अवधारणीय बिन्दु को साबित करने का भार बचावपक्ष का है।

27. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व साक्षी पी०डब्ल्यू० 3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद के बयानों में विरोधाभाष है। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उपनिरीक्षक इन्दजीत गौतम** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसेनगंज में बहैसियत उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ हेड कांस्टेबिल महेन्द्र प्रसाद के साथ देख भाल क्षेत्र में बजरंगापुर तिराहे के पास मामूर था कि मुखबिरखास ने बताया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहे के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर इतमिनान कर कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बजरंगापुर तिराहे से रवाना होकर चले जैसे ही रघुनाथपुर तिराहे से डेढ़ सौ मीटर लगभग पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में थैला है, बता कर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले आगे बढ़े नजदीक पहुंचने पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। शक होने पर हम लोग गाड़ी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से जामा

तलाशी लेते हुए नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसेनगंज जनपद फतेहपुर बताया। भागने का कारण पूंछने पर बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसलिए भाग रहा था। आप लोगों ने पकड़ लिया। थैला को देखा गया और सूंघा सुंघाया गया तो गांजे सी गन्ध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा तो उसने कहा कि जब आप पकड़ लिये हैं तो मैं लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें कहीं न ले जाइए। अभियुक्त के द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–9 अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह सहमति पत्र के आधार पर जामा तलाशी ली गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। हमराही सिपाही महेन्द्र प्रसाद को पांस की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से तराजू बांट मंगवाकर तौला गया तो एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला जिसमें सौ ग्राम गांजा पुनः निकाल कर सफेद कपड़े में व शेष एक किलो एक सौ पचास ग्राम गांजा को अलग अलग सफेद कपड़ों में रेखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। अभियुक्त व बरामद गांजा को समय करीब 10:30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। दौरान गिरफ्तारी सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। मौके पर आप पास कुछ लोग आ गये थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4 अ फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर से मौके पर तैयार किया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की गवाह ने पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। मय माल मुल्जिम के व हमराही के थाने गये थे। जहां मैनें मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मैनें विवेचक को निरीक्षण घटना स्थल करा दिया था। इस स्तर पर थाने के पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मुहर बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोला गया जिसमें गांजा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजाधनी के पास से मौके पर बरामद हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि बजरंगापुर तिराहा से रधुनाथपुर तिराहा लगभग दो किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मेरे साथ हे० का० महेन्द्र प्रसाद थाने से साथ में चले थे। घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो उस समय हम दो ही लोग थे। मुखबिर की सूचना बजरंगापुर तिराहे पर ही मिली थी, इसी सूचना पर हम लोग रघुनाथपुर तिराहा पहुंचे थे। रघुनाथपुर तिराहे से 150 मीटर पहले मुखबिर के इसारे पर देखा गया था। हम सब लोग अपनी निजी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। अभियुक्त के करीब पहुंचे तभी अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने लगा तभी गाड़ी खड़ी करके अभियुक्त को पकड़ा गया था। अभियुक्त लगभग जिस स्थान पर खड़ा था उस स्थान से पन्द्रह कदम दूरी पर दौड़ाकर पकड़ा गया था। मैंने अभियुक्त को 10.30 बजे दिन में पकड़ा था। उसके हाथ से पकड़ी गयी पोटली को खोला गया था और उसको सूघां भी गया था उसमें से गाजें की गन्ध आ रही थी। गांजा तौलने का कोई उपकरण साथ लेकर नहीं गये थे, बगल की दुकान से तराजू बांट मगवाकर तैला गया था। तराजी के बाट में एक किलों का बाट, आंधे किलो का बाट, दो सौ व सी ग्राम व पचास ग्राम के बाट का० महेन्द्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। गांजे की पोटली प्लास्टिक के थैले में थी। यह प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा था, वह पारदर्शी नहीं था। गांजे की तौल मैंने प्लास्टिक के थैले सहित करवाई थी जिसका वजन एक किलो दो सौ पचास ग्राम निकला था, उक्त गांजे में से परीक्षण हेतु सौ ग्राम गांजा निकाला गया था। शेष बचा हुआ गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम आज मेरे पास बयान देते समय मौके पर नहीं है। परीक्षण के लिए निकाला गया गांजा मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। थाने के हे०मु० के द्वारा भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की आने व न आने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि जब तक परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि पकड़ा गया पदार्थ गांजा ही

है। अभियुक्त को पकड़ने के बाद, जामा तलाशी लेने के बाद गांजा बरामद होने पर अभियुक्त के गांजा के सम्बन्ध में तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने सहमति पत्र देते हुए कहा कि, आप ही मेरे सक्षम अधिकारी है मेरी तलाशी ले सकते हैं। अभियुक्त के सहमति पत्र देते समय वह मेरी कस्टडी में था। यह कहना सही है कि जहां पर अभियुक्त को मैंने पकड़ा वहां पर आम आदमी का आना जाना बना रहता है। उक्त घटना को आने जाने वाले तमाम राहगीरों ने देखा जिन्हें उक्त घटना के सम्बन्ध में गवाही के लिए बताया गया, परन्तु किसी भी राहगीर द्वारा आपना नाम पता बताने से इन्कार किया गया। उक्त राहगीरों के खिलाफ मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को दिनांक 07.10.2020 को मैं हेड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम देखभाल क्षेत्र हेतु बजरंगपुर तिराहा के पास मौजूद था कि हम आपस में बातचीत ही कर रहे कि जरिए मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहा के पास पीपल की पेड़ के नीचे है उस हाथ एक टिक कर मेला है, जिसमें अवैध नाजायज गांजा है, जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी से कराए स्थान पर तो 100 मीटर दूरी पर जो व्यक्ति पेड़ के पास प्रयोग बड़ा है उसी के पास इमेले में नाजायज गांजा है। हम लोगो के नजदीक जाने पर खड़ा व्यक्ति तेज कदमो से जाने लगा शंका होने पर हम पुलिस वाले गाडी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर, कर उसे पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर बताया कि मेरा नाम राजाधनी यादव पुत्र छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुरीनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज गांजा है इसलिए भाग रहा था। छोला को खोलकर देखा गया तो नाजायज गांजा था। हम लोगों द्वारा सूंघा व सुंगाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही है। इस पर हम पुलिस वाले पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है, जामा तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा, इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हू आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। पास की दुकान से तराजू व बाट मगंवाया गया तैला गया तो उसके पास एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला जिसमें से सौ ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपड़े में अलग से रखकर सील सर्व मोहर य नमूना मोहर तैयार किया गया तथा एक किलो एक सौ पचास ग्राम को भी सील सर्व मोहर व नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर सुनाकार व गवाहों के हस्ताक्षर बनवाए गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। दौराने गिरफतारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। मौके पर आस पास के कुछ व्यक्ति आ गये। गवाही के लिए कहा तो भलाई-बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुए, गिरफतारी की सूचना पत्नी गीता देवी को जरिए दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या-4अ/2 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिसमें प्रदर्श क-2 पूर्व से पड़ा है। विवेचक ने मेरे बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब मुझे जरिए मुखबिर सूचना मिली थी उस समय मैं बजरंगा पुर चौराहेए मौजूद था। मेरे पास से अभियुक्त उत्तर दिशा में लगभग 09-10 किलोमीटर दूर थे। जब मुझे सुचना मिली थी उस समय बजरंगापुर चौराहे पर था समय मुझे याद नहीं कि कितना बजा रहा होगा। मुखबिर हमारी गाडी में ही बैठकर गया था। चौराहे से घटनास्थल पहुंचने में मुझे लगभग 20-22 मिनट का समय लगा होगा। जहां पर मुल्जिम मौजूद था वह स्थान रघुनाथपुर तिराहा डलमउ रोड था। रघुनाथपुर तिराहा से डलमउ लगभग 3-4 किलोमीटर होगा। मैनें अभियुक्त को 150 मीटर दूरी से देख लिया था। रोड के किनारे ही मुल्जिम पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, यह रोड पब्लिक रोड है, जिसमें आवागमन बराबर बना रहता है। अभियुक्त को हमने 10.30 बजे सुबह पकड़ लिया था, वहां से

राजपत्रित अधिकारी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर रही होगी। घटनास्थल से 50 मीटर दूरी पर प्रधान होटल पश्चिम दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में कुछ छोटी–छोटी दुकाने लगी हुई हैं। कथित गांजे की तौल हेतु मैं स्वयं तराजू लेने गया था। तौल हेतु बांट मैं 1 किलो का, आधा किलो, दो सौ ग्राम, व सौ ग्राम व पचास ग्राम लेकर आया था। तौल में कुल एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला था। अभियुक्त के बताने के अनुसार हमने अनुमान लगाया कि बरामदशुदा माल गांजा है। बरामद माल में से जो सौ गाम माल था उसको परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था, शेष माल थाने के मालखाने में रखा है। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि, विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये माल की रिपोर्ट आयी है या नहीं। यह कहना सही है कि मेरे सामने आज शेष माल जो थाने में जमा किया गया था वह नहीं है। अभियुक्त ने जो सहमति पत्र दिया था, उस समय वह हमारी कस्टडी में था। मैंने रास्ते में आने जाने लोगो से गवाही के लिए कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ।

28. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि उक्त साक्षियों के बयानों में भिन्नता है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में मौके के साक्षीगण व अन्य साक्षीगण के बयानों तथा पत्रावली पर उपबलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 द्वारा उक्त घटना कारित किया जाना अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अवधारणीय बिन्दु के निस्तारण के समय साबित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष ने नजीर के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि **मुरलीधर बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 2005 सुप्रीम कोर्ट 2345** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि छोटे–छोटे विराधाभाष एवं असमानता साक्ष्य में आ जाने से उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुए मात्र इसी आधार पर नकार दिया जाये, यह सही नहीं है। **त्रिलोकनाथ बनाम स्टेट आफ यू०पी० ए०आई०आर० 2006 सुप्रीम कोर्ट 321** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह असत्य एवं झूँठ को अलग करे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि विरोधाभाष या त्रुटियों के आधार पर किसी साक्षी के साक्ष्य को नकारा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बचाव पक्ष इस अवधारणीय बिन्दु को साबित करने में सफल नहीं रहा है।

29. <u>अवधारणीय बिन्दु सं० 4–</u> बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है तथा सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं। विवेचक द्वारा विवेचना कर अभियुक्त को आरोपित कर दिया गया है ,विवेचना त्रुटिपूर्ण है।

30. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कथन है कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई है इसलिए अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसका विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण के विवेचक द्वारा इस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना की गयी है। **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूँ। दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसैनगंज में उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज द्वारा मु०अ०स०–186/2020 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० बनाम राजाधानी की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 07.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 1 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, लेखक एफ०आई०आर०, का० मुहर्रिर अरविन्द कुमार व उ०नि० इन्द्रजीत गौतम वादी मुकदमा के बयान अंकित किए एवं नकल सहमति पत्र व अभियुक्त राजाधनी के बयान अंकित किए गये। दिनांक 13.10.2020 को केस डायरी का पर्चा न० 2 किता किया गया जिसमें हे० का० महेन्द्र प्रसाद फर्द गवाह के बयान अंकित किए व वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 अ को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 16.10.2020 को

केसडायरी का पर्चा न० 3 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा अवलोकन दाखिला रिपोर्ट माल का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 03.11.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 4 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त राजाधानी के जमानत सूचना का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 14.112020 को केसडायरी का पर्चा न० 5 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा माल परीक्षण दाखिला रिमाण्डर प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 13.12.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 6 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्ध 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 को देखकर साक्षी ने अपने द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोल कर तैयार कराए जाने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 21.04.2022 को एस०सी०डी० संख्या–1 उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा किता किया गया जिसके साथ विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० फाफामउ शान्तीपुरम की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विजय कुमार त्रिवेदी उ०नि० मेरे साथ तैनात रहे है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। एस०सी०डी० संख्या 1 उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, पत्रावली में संलग्न विधिविज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट एस०सी०डी० के साथ संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। विवेचना के समय मैं थाना हुसैनगंज में तैनात था। इन्द्रजीत गौतम उ०नि० उस समय उसी थाने में तैनात थे। बरामद माल एक किलो ढाई सौ ग्राम था। विवेचना के दौरान माल आया था। मैंने पोटली निकलवाकर देखी थी माल मालखाने में मौजूद था। उस पोटली में मु०अ०स०, धारा, मुल्जिम का नाम, थाना, जिला अदि लिखा था। उस पोटली में मुल्जिम के दस्तखत थे और उसको मैंने देखा था। उस पोटली का वजन पहले ही हो गया था, मैंने उसका वजन नहीं किया था, उसमें से सौ ग्राम माल नमूना के निकालकर जांच के लिए भेजा गया था। यह माल की टेस्टिंग के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिम राजाधनी के मैंने बयान अंकित किया था, यह बयान मैंने हवालात में अंकित किए थे। रघुनाथपुर तिराहा बहदग्राम फिरोजपुर वादी मुकदमा को साथ लेकर गया था, जो वादी मुकदमा को लेकर गया था, वहां पर मैंने वादी मुकदमा के निशांदेही पर नक्शानजरी बनाया था, उसके पूरब में क्या है, वह मैं नक्शा देखकर बता सकता हूँ, क्योंकि घटना पांच छः वर्ष पुरानी है। घटनास्थल थाने से नौ किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। बरामदशुदा गांजा की पोटली आज मेरे सामने नहीं है। अभियोजन कथानक को विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा पूर्ण रूपेण सभी सन्देहों से परे प्रमाणित किया गया है और ऐसी स्थिति में यदि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के आशय से कोई त्रुटि अथवा उदासनीता या लापरवाही बरती गयी है तो उसका कोई लाभ अभियुक्त को नहीं मिल सकता और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव अभियोजन केस पर नहीं पड़ता है।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ कर्नाटक राज्य बनाम सुवरनम्मा** 2015 (88) **ए०सी०सी० 313 (एस०सी०)** के वाद में दोषपूर्ण विवेचना के संबंध में पारित किये गये विधि सिद्धान्त पर विश्वास व्यक्त किया गया है। मैंने बचाव पक्ष के इस तर्क के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक विचार किया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि विवेचक द्वारा समस्त औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के विवेचक द्वारा विवेचना में की गयी छोटी–मोटी त्रुटि अथवा अनियमितताओं के कारण अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार संदिग्ध नहीं माना जा सकता। यह सुस्थापित विधि का सिद्धान्त है कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा कोई त्रुटि या लापरवाही की गयी है तो इससे

अभियोजन के विरूद्ध कोई धारणा अवधारित नहीं की जा सकती विशेषकर उन परिस्थितियो में जबकि पत्रावली पर साक्षीगण की विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हो।

32. **कर्नाटक राज्य बनाम केयरप्पा रेडडी मनु/एस०सी०/0633/1999, बुद्ध सिंह बनाम यू०पी० स्टेट 2007 (2) ए०आर० 770 सुप्रीम कोर्ट, धनन्जय सिंह उर्फ शेरा प्रति स्टेट आफ पंजाब, 2004 (48) ए०सी०सी० 940 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है –

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक परीक्षण में न्यायिक जांच के दौरान केवल विवेचना ही एकमात्र क्षेत्र नहीं है। न्यायालय के द्वारा निर्णय किये जाने में केवल विवेचना की वैधता पर ही निर्भर नहीं किया जा सकता। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि विवेचना अवैधानिक है या सन्देहपूर्ण है तो भी शेष साक्ष्य का विश्लेषण स्वतंत्रतापूर्वक किया जाना चाहिए। यह विवेचना की कमियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए अन्यथा आपराधिक परीक्षण का स्तर विवेचनाधिकारी के निम्न स्तर तक चला जायेगा जो कि सर्वथा अनुचित है। वास्तविकता यह है कि आपराधिक परीक्षण के दौरान विवेचनाधिकारी के कृत्यो पर न्यायालय का पूर्ण वर्चस्व होना चाहिए। आपराधिक न्याय को विवेचनाधिकारी द्वारा की गयी कमियों का शिकार नहीं बनाया जा सकता। दूसरे शब्दो में यदि न्यायालय के विचार में घटना से संबंधित साक्षियो की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है तो न्यायालय स्वतंत्रतापूर्वक इस पर कार्यवाही कर सकता है, चाहे विवेचनाधिकारी की भूमिका मामले में संदिग्ध रही हो। विवेचक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर निष्पक्ष विवेचना की गयी है और विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क पूर्णतया बलहीन प्रमाणित होता है। तदनुसार बचाव पक्ष इस अवधारणीय बिन्दु को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

33. **<u>अवधारणीय बिन्दु सं० 5–</u>** अवधारणीय बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया जाता है कि **क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में बरामदगी के समय धारा 50 व 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्राविधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित् किया गया अथवा नहीं?**

बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में बरामदगी के समय धारा 50 व 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। बचाव पक्ष के इस तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से खण्डन कर कथन किया गया है कि धारा 50 व 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 के अनुसार दिनांक 07.10.2020 को वादी मुकदमा एस.आई. इन्द्रजीत गौतम मय हमराही हे0 का0 महेन्द प्रसाद थाना हाजा से देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, रोकथाम अपराध पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अपराधी में रवाना होकर बजरंग पुर तिराहा (शुदा का पुरवा) के पास मामूर था कि आपस में बढ़ते रोकथाम अपराध के संबंध में वार्तालाप किया जा रहा था तभी मुखबिर आकर बताया कि साहव एक व्यक्ति रघुनाथ पुर तिराहा के पास पीपल के पेड के नीचे खड़ा है उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह विश्वास हो गया कि बताये गये अपराध से संबन्धित किसी के पास नाजायज वस्तु नहीं है। वादी एस.आई. मय हमराही मय मुखबिर को अपनी गाडी पर बैठा कर बजरंगपुर तिराहा से रवाना होकर बताये गये स्थान की ओर चलने लगे जैसे ही रघुनाथपुर तिराहा से 150 मीटर लगभग पहले बास मुखबिर ने गाडी रूकवा कर बताया कि साहब वह वहीं व्यक्ति है जो पीपल के पेड के नीचे खड़ा है जिसके हाथ में प्लास्टिक थैला है। उतना बताकर मुखबिर वापस चला गया। पुलिस वालो ने अपनी मो०सा0 से आगे बढे नजदीक पहुंचने पर खडे व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा शक होने पर हम पुलिसजन गाडी खडी करके दौडाकर घेरकर हल्का बल प्रयोग करके पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुऐ नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदी लाल निवासी

काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीव 32 वर्ष बताया भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे थैले में गांजा है इसलिए मैं भाग रहा था कि आप लोगो ने दौडाकर पकड लिए हाथ में लिए थैला को खुलवा कर देखा गया व सूंघा व सुंघाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही थी इस पर पुलिस वाले पकडे गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब अब जब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हूँ कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए हमें कही मत ले जाइये। थैले में अवैध गांजा बरामद हुआ। पास की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से हमराही भेज कर तराजू व बाँट मंगवा कर तौला गया तो 01 kg. 250 ग्राम हुआ जिसमें से 100 ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपडे में. 100 ग्राम अलग व 01 kg–150 ग्राम अलग रखकर सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद गांजा व अभियुक्त को समय करीब 10.30 बजे हस्व जाफ्ता कब्जा पुलिस लिया गया फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर, सुनाकर सभी गवाहो का आलामात वनवाये जा रहे है। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। दौराने गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मा० मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया व कराया गया। मौके पर आसपास के कुछ लोग आ गये है गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। **इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल विधि व्यवस्था राजेश धीमन बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य 2021 (1) सी.सी.एस.सी. 49 (SC)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–(1) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 20 एवं 50– चरस की बरामदगी– विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति– त– किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति अपास्त और अपीलार्थीगण धारा 20 के अधीन चरस के के लिये इस आधार पर दोषसिद्ध कि किसी स्वतन्त्र साक्षी की परीक्षा न करने का प्रभाव अपरिणामिक था– यद्यपि एन० डी० पी० एस० मामलों में स्वतन्त्र साक्षियों की सहवद्धता सदैव वांछनीय है, किन्तु उनकी परीक्षा न करना स्वतः अभियोजन मामले के लिये घातक नहीं होगा, विशेष रूप से उस समय जब सम्यक् प्रयास पुलिस द्वारा उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के किये जाते हैं– स्वतन्त्र साक्षी की परीक्षा न होना ही वस्तुतः किसी को दोषमुक्ति की अपेक्षा करने का हकदार नहीं बनायेगा– विचारण न्यायालय ने यान्त्रिक ढंग में तथ्यों का मूल्यांकन किया था और अभियोजन मामले को विधि के गलत निर्वचन के आधार पर विशिष्ट रूप से सबू सबूत के भार की तुष्टि करने के सम्बन्ध में निरस्त कर दिया था–उक्त दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने और उससे भिन्न निष्कर्ष निकालने के उच्च न्यायालय के लिये पर्याप्त से अपेक्षाकृत अधिक कारण– अपीलार्थीगण का यह दावा कि उच्च न्यायालय से अपील के प्रक्रम पर धारा 50 के अननुपालन पर विचार न करने में त्रुटि कारित हुई– विधि की गलत समड़ा पर आधारित है– कैसे स्वापक पदाथों के बैंक पैक में होने का पता चला है, इसका विवरण दिया गया था, अतः अभियोजन एवं प्रतिरक्षा कथन दोनों के ही अनुसार, धारा 50 के अनुपालन के प्रश्न की परीक्षा करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश–को बरकरार रखा गया– प्रत्युत्तरदाता–राज्य को अपीलार्थीगण को अपने–अपने दस वर्ष के दण्ड का शेष भुगतने के लिये अभिरक्षा में लिये जाने का निर्देश दिया गया। उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में पूर्णतया लागू होती है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क पर कोई बल नहीं है।

34. **अवधारणीय बिन्दु सं० 6–** न्यायालय के सामने यह भी विचारणीय बिंदु है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में किसी स्वतन्त्र लोक साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित न कराया जाना अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है अथवा नहीं?

35. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा किसी स्वतन्त्र लोक साक्षी को प्रस्तुत और परीक्षित न कराया जाना अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। घटना के सभी साक्षी पुलिसकर्मी है। घटनास्थल सार्वजनिक स्थल है जिस कारण से अभियोजन कथानक पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर

से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने उक्त तर्क का खंडन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा किसी स्वतन्त्र लोक साक्षी को प्रस्तुत और परीक्षित न कराया जाना से अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के कब्जे से एक किलो दो सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है जो मानव जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक है। पुलिस कर्मचारी भी विश्वसनीय साक्षी हो सकते हैं।

36. उभयपक्षों को सुनने तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा किसी स्वतन्त्र लोक साक्षी को परीक्षित नहीं कराये जाने से अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारी भी विश्वसनीय साक्षी हो सकते हैं। पुलिस कर्मचारियों की मौखिक साक्ष्य को भी अभियुक्त की दोषसिद्धी का आधार बनाया जा सकता है। इस संबंध में पुलिसकर्मियों और स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन द्वारा आवश्यक रूप से परीक्षित कराया जाना विधि की अनिवार्य शर्त नहीं है और न ही व्यावहारिक रूप से ऐसा किया जाना सदैव सम्भव है।

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Guru Dutt Pathak vs. State of Uttar Pradesh,** Criminal Appeal No. 502 of 2015, LL 2021 SC 245, में यह सम्प्रेक्षित किया गया कि: '...non–examination of independent witnesses is not fatal to the case of the prosecution when other prosecution witnesses are found to be trustworthy and reliable. इसी प्रकार एक अद्यतन न्यायिक निर्णय **Surinder Kumar vs. State of Punjab,** (2020) 2 SCC 563, it was observed and held by Hon'ble Supreme Court that merely because prosecution did not examine any independent witness, would not necessarily lead to conclusion that accused was falsely implicated. **Rizwan Khan vs. State of Chhattisgarh,** (2020) 9 SCC 627, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of H.P. vs. Pardeep Kumar,** (2018) 13 SCC 808, के मामले को उद्धृत और सन्दर्भित करते हुए यह सम्प्रेक्षित किया गया कि 'the examination of independent witnesses is not an indispensable requirement and such non–examination is not necessarily fatal to the prosecution case...'

38. उपरोक्त विवेचना और विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी अन्य स्वतन्त्र लोक साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत और परीक्षित न कराये जाने के कारण को उचित व संतोषजनक रूप से स्पष्ट और स्थापित रूप से साबित किया गया है। किसी अन्य स्वतन्त्र लोक साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत और परीक्षित न कराया जाना अभियोजन पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

39. उक्त बिन्दु के संबंध में **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उपनिरीक्षक इन्दजीत गौतम** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसेनगंज में बहैसियत उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ हेड कांस्टेबिल महेन्द्र प्रसाद के साथ देख भाल क्षेत्र में बजरंगापुर तिराहे के पास मामूर था कि मुखबिरखास ने बताया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहे के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में प्लास्टिक का थैला है जिसमें अवैध नाजायज गांजा है जिसे डलमऊ बेचने लेकर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर इतमिनान कर कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बजरंगापुर तिराहे से रवाना होकर चले जैसे ही रघुनाथपुर तिराहे से डेढ़ सौ मीटर लगभग पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके हांथ में थैला है, बता कर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले आगे बढ़े नजदीक पहुंचने पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस वालों को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। शक होने पर हम लोग

गाड़ी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसेनगंज जनपद फतेहपुर बताया। भागने का कारण पूंछने पर बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसलिए भाग रहा था। आप लोगों ने पकड़ लिया। थैला को देखा गया और सूंघा सुंघाया गया तो गांजे सी गन्ध आ रही थी। पकड़े गये व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है तो जामा तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा तो उसने कहा कि जब आप पकड़ लिये हैं तो मैं लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें कहीं न ले जाइए। अभियुक्त के द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–9 अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह सहमति पत्र के आधार पर जामा तलाशी ली गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। हमराही सिपाही महेन्द्र प्रसाद को पांस की दुकानदार लालू पुत्र गोपाली की दुकान से तराजू बांट मंगवाकर तौला गया तो एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला। जिसमें सौ ग्राम गांजा पुनः निकाल कर सफेद कपड़े में व शेष एक किलो एक सौ पचास ग्राम गांजा को अलग अलग सफेद कपड़ों में रेखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। अभियुक्त व बरामद गांजा को समय करीब 10:30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। दौरान गिरफ्तारी सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। मौके पर आप पास कुछ लोग आ गये थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया था लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4 अ फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर से मौके पर तैयार किया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की गवाह ने पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। मय माल मुल्जिम के व हमराही के थाने गये थे। जहां मैनें मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मैनें विवेचक को निरीक्षण घटना स्थल करा दिया था। इस स्तर पर थाने के पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मुहर बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोला गया जिसमें गांजा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजाधनी के पास से मौके पर बरामद हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि बजरंगापुर तिराहा से रधुनाथपुर तिराहा लगभग दो किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मेरे साथ हे० का० महेन्द्र प्रसाद थाने से साथ में चले थे। घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो उस समय हम दो ही लोग थे। मुखबिर की सूचना बजरंगापुर तिराहे पर ही मिली थी, इसी सूचना पर हम लोग रघुनाथपुर तिराहा पहुंचे थे। रघुनाथपुर तिराहे से 150 मीटर पहले मुखबिर के इसारे पर देखा गया था। हम सब लोग अपनी निजी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। अभियुक्त के करीब पहुंचे तभी अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने लगा तभी गाड़ी खड़ी करके अभियुक्त को पकड़ा गया था। अभियुक्त लगभग जिस स्थान पर खड़ा था उस स्थान से पन्द्रह कदम दूरी पर दौड़ाकर पकड़ा गया था। मैंने अभियुक्त को 10.30 बजे दिन में पकड़ा था। उसके हाथ से पकड़ी गयी पोटली को खोला गया था और उसको सूघां भी गया था उसमें से गाजें की गन्ध आ रही थी। गांजा तौलने का कोई उपकरण साथ लेकर नहीं गये थे, बगल की दुकान से तराजू बांट मगवाकर तैला गया था। तराजी के बाट में एक किलों का बाट, आंधे किलो का बाट, दो सौ व सी ग्राम व पचास ग्राम के बाट का० महेन्द्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। गांजे की पोटली प्लास्टिक के थैले में थी। यह प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा था, वह पारदर्शी नहीं था। गांजे की तौल मैंने प्लास्टिक के थैले सहित करवाई थी जिसका वजन एक किलो दो सौ पचास ग्राम निकला था, उक्त गांजे में से परीक्षण हेतु सौ ग्राम गांजा निकाला गया था। शेष बचा हुआ गांजा एक किलो एक सौ पचास ग्राम आज मेरे पास बयान देते समय मौके पर नहीं है। परीक्षण के लिए निकाला गया गांजा मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। थाने के हे०मु० के द्वारा भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की आने व न आने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि जब

तक परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि पकड़ा गया पदार्थ गांजा ही है। अभियुक्त को पकड़ने के बाद, जामा तलाशी लेने के बाद गांजा बरामद होने पर अभियुक्त के गांजा के सम्बन्ध में तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने सहमति पत्र देते हुए कहा कि, आप ही मेरे सक्षम अधिकारी है मेरी तलाशी ले सकते हैं। अभियुक्त के सहमति पत्र देते समय वह मेरी कस्टडी में था। यह कहना सही है कि जहां पर अभियुक्त को मैंने पकड़ा वहां पर आम आदमी का आना जाना बना रहता है। उक्त घटना को आने जाने वाले तमाम राहगीरों ने देखा जिन्हें उक्त घटना के सम्बन्ध में गवाही के लिए बताया गया, परन्तु किसी भी राहगीर द्वारा आपना नाम पता बताने से इन्कार किया गया। उक्त राहगीरों के खिलाफ मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 हेड कां० अरविन्द कुमार</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को मै कान्सटेबल मुहर्रिर थाना हुसैनगंज पर तैनात था. उस दिन वादी मुकदमा उ०नि० इन्द्रजीत गौतम की लिखित फर्द मुझे प्राप्त हुई थी, मैने फर्द के अनुसार कम्प्यूटर आपरेटर को शब्द व शब्द बोल बोल कर टाइप करवाया था. जिसका मुकदमा अपराध संख्या 0186/2020 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में चिक एफ०आई०आर० तैयार हो जाने के बाद मैने अपना हस्ताक्षर बनाया था, पत्रावली में सामिल एफ०आई०आर० कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/2 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया, इसी चिक एफ०आई०आर० का खुलाशा मेरे द्वारा जी०डी० मे किया गया था, जिसमें जी०डी० न० 030 दिनांक 07.10.2020 समय 13.43 बजे पत्रावली में शामिल जी०डी० कागज संख्या 8अ पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं आज अपने साथ मूल जी०डी० नहीं लाया हूं, न लाने का कारण यह है कि, एक जी०डी० पत्रावली में रहती है और दूसरी जी०डी० थाने के सी०सी०टी०एन०एस० पर रहती है। दरोगा जी ने जो फर्द दिया था, उसी के आधार पर मैंने मुकदमा कायम किया था। इस मुकदमें को पंजीकृत होने के पहले व बाद में मैने कितने संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध के मुकदमें पंजीकृत किया था. मुझे याद नहीं है। मैंने फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था, दरोगा जी के दबाव में नहीं दर्ज करवाया था। फर्द बरामदगी के समय में मौके पर नहीं था। जब मैं उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत करवा रहा था, उस समय कथित मुल्जिम मेरे समक्ष था। मैंने उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में मुल्जिम से कोई पूछताछ नहीं किया था। **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मै न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूं। दिनांक 07.10.2020 को दिनांक 07.10.2020 को मैं हेड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम देखभाल क्षेत्र हेतु बजरंगपुर तिराहा के पास मौजूद था कि हम आपस में बातचीत ही कर रहे कि जरिए मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति रघुनाथपुर तिराहा के पास पीपल की पेड़ के नीचे है उस हाथ एक टिक कर मेला है, जिसमें अवैध नाजायज गांजा है, जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी से कराए स्थान पर तो 100 मीटर दूरी पर जो व्यक्ति पेड़ के पास प्रयोग बड़ा है उसी के पास इमेले में नाजायज गांजा है। हम लोगो के नजदीक जाने पर खड़ा व्यक्ति तेज कदमो से जाने लगा शंका होने पर हम पुलिस वाले गाडी खड़ी करके दौड़ाकर घेरकर, कर उसे पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर बताया कि मेरा नाम राजाधनी यादव पुत्र छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुरीनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज गांजा है इसलिए भाग रहा था। छोला को खोलकर देखा गया तो नाजायज गांजा था। हम लोगों द्वारा सूंघा व सुंगाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही है। इस पर हम पुलिस वाले पकड़े गये

व्यक्ति से कहा कि इसमें गांजा है, जामा तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी के पास चलना होगा, इस पर राजाधनी उपरोक्त ने कहा कि साहब आपने पकड़ ही लिया है तो मैं लिखित सहमति पत्र देता हू आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। पास की दुकान से तराजू व बाट मगंवाया गया तैला गया तो उसके पास एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला जिसमें से सौ ग्राम नमूना निकालकर एक सफेद कपड़े में अलग से रखकर सील सर्व मोहर य नमूना मोहर तैयार किया गया तथा एक किलो एक सौ पचास ग्राम को भी सील सर्व मोहर व नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर सुनाकार व गवाहों के हस्ताक्षर बनवाए गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। दौराने गिरफतारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। मौके पर आस पास के कुछ व्यक्ति आ गये। गवाही के लिए कहा तो भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुए, गिरफतारी की सूचना पत्नी गीता देवी को जरिए दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पत्रावली में सामिल फर्द कागज संख्या–4 अ/2 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी आज मैं पहचान व पुष्टि करता हूं, जिसमें प्रदर्श क–2 पूर्व से पड़ा है। विवेचक ने मेरे बयान लिया था। बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि जब मुझे जरिए मुखबिर सूचना मिली थी उस समय मैं बजरंगा पुर चौराहेए मौजूद था। मेरे पास से अभियुक्त उत्तर दिशा में लगभग 09–10 किलोमीटर दूर थे। जब मुझे सुचना मिली थी उस समय बजरंगापुर चौराहे पर था समय मुझे याद नहीं कि कितना बजा रहा होगा। मुखबिर हमारी गाडी में ही बैठकर गया था। चौराहे से घटनास्थल पहुंचने में मुझे लगभग 20–22 मिनट का समय लगा होगा। जहां पर मुल्जिम मौजूद था वह स्थान रघुनाथपुर तिराहा डलमउ रोड था। रघुनाथपुर तिराहा से डलमउ लगभग 3–4 किलोमीटर होगा। मैनें अभियुक्त को 150 मीटर दूरी से देख लिया था। रोड के किनारे ही मुल्जिम पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, यह रोड पब्लिक रोड है, जिसमें आवागमन बराबर बना रहता है। अभियुक्त को हमने 10.30 बजे सुबह पकड़ लिया था, वहां से राजपत्रित अधिकारी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर रही होगी। घटनास्थल से 50 मीटर दूरी पर प्रधान होटल पश्चिम दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में कुछ छोटी–छोटी दुकाने लगी हुई हैं। कथित गांजे की तौल हेतु मैं स्वयं तराजू लेने गया था। तौल हेतु बांट मैं 1 किलो का, आधा किलो, दो सौ ग्राम, व सौ ग्राम व पचास ग्राम लेकर आया था। तौल में कुल एक किलो दो सौ पचास ग्राम गांजा निकला था। अभियुक्त के बताने के अनुसार हमने अनुमान लगाया कि बरामदशुदा माल गांजा है। बरामद माल में से जो सौ गाम माल था उसको परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था, शेष माल थाने के मालखाने में रखा है। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि, विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये माल की रिपोर्ट आयी है या नहीं। यह कहना सही है कि मेरे सामने आज शेष माल जो थाने में जमा किया गया था वह नहीं है। अभियुक्त ने जो सहमति पत्र दिया था, उस समय वह हमारी कस्टडी में था। मैंने रास्ते में आने जाने लोगो से गवाही के लिए कहा तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि आज मैं न्यायालय के सम्मन में गवाही देने आया हूँ। दिनांक 07.10.2020 को मैं थाना हुसैनगंज में उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज द्वारा मु०अ०स०–186/2020 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० बनाम राजाधानी की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 07.10.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 1 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, लेखक एफ०आई०आर०, का० मुहर्रिर अरविन्द कुमार व उ०नि० इन्द्रजीत गौतम वादी मुकदमा के बयान अंकित किए एवं नकल सहमति पत्र व अभियुक्त राजाधनी के बयान अंकित किए गये। दिनांक 13.10.2020 को केस डायरी का पर्चा न० 2 किता किया गया जिसमें हे० का० महेन्द्र प्रसाद फर्द गवाह के बयान अंकित किए व वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6 अ को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 16.10.2020 को

केसडायरी का पर्चा न० 3 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा अवलोकन दाखिला रिपोर्ट माल का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 03.11.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 4 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त राजाधानी के जमानत सूचना का केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 14.112020 को केसडायरी का पर्चा न० 5 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा माल परीक्षण दाखिला रिमाण्डर प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर केसडायरी में अंकन किया गया। दिनांक 13.12.2020 को केसडायरी का पर्चा न० 6 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा राजाधनी यादव पुत्र स्व० छेदीलाल निवासी काजी का पुरवा मजरे लालीपुर थाना हुसैनगंज के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्ध 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 को देखकर साक्षी ने अपने द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोल कर तैयार कराए जाने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 21.04.2022 को एस०सी०डी० संख्या–1 उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा किता किया गया जिसके साथ विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० फाफामउ शान्तीपुरम की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विजय कुमार त्रिवेदी उ०नि० मेरे साथ तैनात रहे है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। एस०सी०डी० संख्या 1 उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, पत्रावली में संलग्न विधिविज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट एस०सी०डी० के साथ संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। विवेचना के समय मैं थाना हुसैनगंज में तैनात था। इन्द्रजीत गौतम उ०नि० उस समय उसी थाने में तैनात थे। बरामद माल एक किलो ढाई सौ ग्राम था। विवेचना के दौरान माल आया था। मैंने पोटली निकलवाकर देखी थी माल मालखाने में मौजूद था। उस पोटली में मु०अ०स०, धारा, मुल्जिम का नाम, थाना, जिला अदि लिखा था। उस पोटली में मुल्जिम के दस्तखत थे और उसको मैंने देखा था। उस पोटली का वजन पहले ही हो गया था, मैंने उसका वजन नहीं किया था, उसमें से सौ ग्राम माल नमूना के निकालकर जांच के लिए भेजा गया था। यह माल की टेस्टिंग के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिम राजाधनी के मैंने बयान अंकित किया था, यह बयान मैंने हवालात में अंकित किए थे। रघुनाथपुर तिराहा बहदग्राम फिरोजपुर वादी मुकदमा को साथ लेकर गया था, जो वादी मुकदमा को लेकर गया था, वहां पर मैंने वादी मुकदमा के निशांदेही पर नक्शानजरी बनाया था, उसके पूरब में क्या है, वह मैं नक्शा देखकर बता सकता हूँ, क्योंकि घटना पांच छः वर्ष पुरानी है। घटनास्थल थाने से नौ किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। बरामदशुदा गांजा की पोटली आज मेरे सामने नहीं है।

40. इस प्रकार अभियुक्त राजाधनी यादव को दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे स्थान रघुनाथपुर तिराहा के पास, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में अभियुक्त को उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा एक किलो दौ सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया जाना मौके के साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अभियोजन साक्षी संख्या 1 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद व अन्य साक्षीगण के बयानों द्वारा दिये गये साक्ष्य से साबित होता है। सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी होती है जिसे अभियोजन साक्षी संख्या–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस द्वारा प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में परिणाम में यह उल्लिखित है कि– "वस्तु विश्लेषण द्वारा गांजा पाया गया। भौतिक व रासायनिक विधियां प्रयोग की गई।" अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा – 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त राजाधनी यादव

आरोप अन्तर्गत धारा –20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तदनुसार अभियुक्त राजाधनी यादव को आरोप अन्तर्गत धारा–20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

41. अभियुक्त राजाधनी यादव जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

42. अभियुक्त राजाधनी यादव को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए तथा सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिये पत्रावली लन्च बाद को पेश हो।

दिनांक : 09.06.2026 **(राम किशोर–III)**

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–1, फतेहपुर।
जे०ओ० कोड–UP6055

<u>लन्च बाद–</u>

<u>09.06.2026</u>

43. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त राजाधनी यादव न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय उपस्थित है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये , उनके द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब है, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया गया है। अतः उसे कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

44. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगणों को मौखिक रूप से परीक्षित कराया गया। विवेचक तथा अन्य पुलिस के गवाहान द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नाजायज गांजा पाया गया है। अभियोग पूर्ण रूप से साबित है। अतः अभियुक्त दण्डित किये जाने योग्य है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसे अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

44. उभयपक्षों को सुना गया तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 07.10.2020 को समय 10:30 बजे स्थान रघुनाथपुर तिराहा के पास, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर में अभियुक्त राजाधनी यादव को उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा एक किलो दौ सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था। मौके के साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इन्द्रजीत गौतम व अभियोजन साक्षी संख्या 1 उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रसाद व अन्य साक्षीगण के बयानों द्वारा दिये गये साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी होती है जिसे अभियोजन साक्षी संख्या–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मो० वयस द्वारा प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में परिणाम में यह उल्लिखित है कि– "वस्तु विश्लेषण द्वारा गांजा पाया गया। भौतिक व रासायनिक विधियां प्रयोग की गई।" अभियुक्त राजाधनी यादव के कब्जे से जो एक किलो दो सौ पचास ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है जो कि वाणिज्यिक मात्रा (20 किलोग्राम) से अधिक किन्तु अल्प मात्रा (1 किलोग्राम) से अधिक की कोटि का है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजाधनी यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त राजाधनी यादव आरोप अन्तर्गत धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

45. अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजाधनी यादव को धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध हेतु तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं मुबलिग 10000 (दस हजार)/–रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

46. सत्र वाद संख्या– 84/2021, मु०अ०सं०–186/2020 थाना–हुसैनगंज, जिला फतेहपुर के अपराध में अभियुक्त राजाधनी यादव को धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

47. सत्र वाद संख्या– 84/2021, मु०अ०सं०–186/2020 थाना–हुसैनगंज, जिला फतेहपुर के अपराध में अभियुक्त राजाधनी यादव को धारा– 20(b)(II)(b) सपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध हेतु तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं मुबलिग 10000 (दस हजार)/–रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

48. सत्र वाद संख्या– 84/2021, मु०अ०सं० 186/2020 में अर्थदण्ड की राशि अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अर्थदण्ड की राशि देय होगी।

49. इस अभियोग में अभियुक्त पूर्व में बितायी गयी अवधि का, अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध **<u>धारा– 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>** के अंतर्गत मुजरा **<u>(Set–Off)</u>** किया जायेगा।

50. अभियुक्त का **<u>सजायावी वारण्ट (Conviction warrant)</u>** अंतर्गत **<u>धारा– 418 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>** तैयार कर दोषसिद्ध अभियुक्त के साथ जिला कारागार फतेहपुर भेजा जाए।

51. **<u>धारा– 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>** के अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

52. **<u>धारा– 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>** के अंतर्गत उक्त निर्णय के निष्कर्ष व दण्डादेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर को प्रेषित की जाए।

दिनांक 09.06.2026

(राम किशोर–III)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर।
जे०ओ० कोड–UP6055

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 09.06.2026

(राम किशोर–III)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर।
जे०ओ० कोड–UP6055